न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या:– 39/2020

भैराराम उम्र 65 वर्ष पुत्र बीरबलराम जाति नायक निवासी 8 एल.एम. हाल 6 एल.एम. (ढ़ाणी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

––– वादी

बनाम

1. राजाराम उम्र 48 वर्ष पुत्र बीरबलराम जाति नायक निवासी 8 एल.एम. हाल 6 एल.एम. (ढ़ाणी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।
2. विमला उम्र 50 वर्ष पत्नी डूंगरराम जाति नायक निवासी 8 एल.एम. हाल 6 एल.एम. (ढ़ाणी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।
3. तहसीलदार(राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज.काश्त. अधिनियम। बर बिनाय साक्ष्य हर किस्म।

::निर्णय::

दिनांक 23.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि कृषि भूमि वाके चक 6 एल.एम. ''बी'' तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं. 276/479, मु.नं. 6 के किला नं. 5/2 का 0.139 हैक्टर, 6 का 0.253 है., 13/1 का 0.061 है., 14 ता 20 प्रत्येक का 0.253 है., 21/1, 22/2, 23/1प्रत्येक का 0. 228 है., 24/1, 25/1 प्रत्येक 0.227 है., कुल 3.362 है.कमाण्ड कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से अपने अपने हिस्सा मुताबिक संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। विवादित कृषि भूमि का सह खातेदारान वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अर्सा पूर्व अपने–अपने हिस्सानुसार आपसी मौखिक घरूकिलावाई खाता विभाजन निम्मानुसार कर काबिज काश्त है जिसमें वादी भैराराम को चक 6 एल.एम.''बी'' तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं. 276/479, मु.नं. 6 के किला नं. 17 ता 20 प्रत्येक मे 0.056 है., किला नम्बर 21/1 मे 0.214 है, 22/2 मे 0.228 है., किला नम्बर 23/1 मे 0.228 है., 24/1 मे 0.227 है, कुल 1.121 है. कमाण्ड कृषि भूमि प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम को चक 6 एल.एम.''बी'' तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं. 276/479, मु.नं. 6 के किला नं. 5/2 का 0.139 है., किला नम्बर 6 का 0.253 है.,15 का 0.253 है., 16 का 0.249 है., किला नम्बर 25/1 का 0.227 है., कुल 1.121 है. कमाण्ड कृषि भूमि प्राप्त हुई। प्रतिवा[illegible] 2 विमला को चक 6 एल.एम. ''बी'' तहसील अनूपगढ़ का पत्थर स[illegible] का 0.061 है., 14 का 0.253 है., 16 मे 0.004 है., 17 [illegible] है., किला नम्बर 21 मे[illegible] है. ,कुल 1.120 है. कमाण्ड कृषि भूमि प्राप्त हुई। वादी ए[illegible]तिवादी सं. 1 व 2 उ[illegible]सी मौखिक घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर उक्तानुसार आज रोज तक निरन्तर शान्तिपूर्वक साधिकार मौका परकाबिज काश्त है व मौका पर फसल बीजान्द है तथा वादी एंव प्रतिवादीगण ने अपने हिस्सा की भूमि मे अपनी अपनी ढ़ाणी बना रखी है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित कृषि भूमि के राजस्व कर, सिंचाई कर अदायगी एवं सिंचाई आदि को लेकर कई बार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.26 13:25:35 IST
Reason: SelfAttested

विवाद हो चुका है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार आग्रह किया कि उक्त आपसी मौखिक घरू बंटवारा व कब्जा काश्त मुताबिक राजस्व अभिलेख में किलावाईज खाता विभाजन करवा कर बंटवारा का अंकन करवा लेवें ताकि आपसी भाईचारा बना रहे एवं किसी प्रकार की परेशानी ना हो तो वे हमेशा शीघ्र ही ऐसा करने का आश्वासन देकर टालमटोल करते रहे। बिलआखिर आज से अर्सा तीन रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को उक्त आपसी मौखिक घरू बंटवारा व कब्जानुसार राजस्व रिकॉर्ड में खाता विभाजन हेतु कहा तो वे ऐसा करने से स्पष्ट इंकार हो गए बस यही बिनाय दावा एंव बिनाय मुखास्मत वाद पत्र है। विवादित कृषि भूमि का रिकॉर्डेड सह–कृषक होने कारणवादी उक्त मौखिक घरू बंटवारानुसार खाता विभाजन करवाने का मुश्तकहक है। अतः वाद–पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत एवं डिक्री किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1त 3 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बावजूद नोटिस तामिल के न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित आए एवं न ही, असालतन/वकालतन कोई जवाब प्रस्तुत किया। फलतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1ता 2 के नाम से संयुक्त खाता राजस्व रिकार्ड में है। प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। पत्रावली में विवादित बिन्दू नही है तथा पत्रावली में अन्य कोई न्यायिक पक्ष शेष नही होने की स्थिति में वादी का यह वाद पत्र डिक्री किये जाने योग्य है एंव स्वीकार किये जाने योग्य है।

::आदेश ::

वाद वादी निर्णित एवं डिक्रित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वाके चक 6 एल.एम. ''बी'' तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं. 276/479, मु.नं. 6 के किला नं. 5/2 का 0.139 हैक्टर, 6 का 0.253 है., 13/1 का 0.061 है., 14 ता 20 प्रत्येक का 0.253 है., 21/1, 22/2, 23/1प्रत्येक का 0.228 है., 24/1, 25/1 प्रत्येक 0.227 है., कुल 3.362 है.कमाण्ड कृषि भूमि में रास्ते व खाले को ध्यान में रखते हुए वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01ता02 के मध्य उसके हिस्सा अनुसार अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी अनुसार किला विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्थान क[illegible] 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार स्वंय खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार [illegible] दिवस के अन्दर–अन्दर इस न्यायालय को भिजवावें। प्राथमिक [illegible] प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.26 13:25:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23/03/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़